



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय-भवन

इंदौर-252001

क्रमांक:संवि/29/रैगिंगरोकथामसमिति/2018-19/1245

दिनांक: 27 JUN 2018

// अधिसूचना //

आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक : 402/264/83/आउशि/शाखा-5 'अ'/2014 भोपाल दिनांक 27 मई 2015 के अनुपालन में एवं प्रति वर्षानुसार रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नानुसार विश्वविद्यालय स्तरीय एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है:-

1. डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण - संयोजक
मो.नं. 9425345441
2. डॉ. सुमंत कटियाल, निदेशक, महा.वि.परिषद - सदस्य
मो.नं. 9425938254
3. डॉ. बी.के. त्रिपाठी - सदस्य
9827048326
4. डॉ. राजेन्द्र सिंह - सदस्य
9425349042
5. विनय कुमार तायड़े - सदस्य
उप कुलसचिव, प्रशासन
मो.नं. 9826420909

नोट- उक्त अधि-सूचना पत्र को सूचना पटल पर चस्पा कर सस्त छात्र/छात्राओं को सूचित करने का कष्ट करें।

हस्ता / -

(डॉ. लक्ष्मीकांत त्रिपाठी)

संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग

पृष्ठां. क्रमांक:संवि/ /रैगिंगरोकथामसमिति/2018-19/1245 दिनांक: 27 JUN 2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, म.प्र. 462004
2. अतिरिक्त संचालक, इंदौर संभाग, मोती तबेला, इंदौर।
3. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि. इंदौर।
4. उक्त समस्त संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्राचार्य/निदेशक/विभागाध्यक्ष, संबद्ध समस्त महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर।
6. आई.ई.टी. सेन्टर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग